

(रा.श. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सिवाणा जिला बालोतरा
(राजस्थान)

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।
महादय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम खोजिकोली की जमाबन्दी सम्वत् 2027-80 के खाता
संख्या 186 में मेरा/हमारे नाम खूजाराम पुत्र राणा

दर्ज हैं जो अशुद्ध हैं, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम खूजाराम पुत्र राणाराम है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें ।
दिनांक :-

16. 
हस्ताक्षर प्रार्थी / प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक

उपरोक्त के संलग्न दस्तावेजों के अनुसार खूजाराम पुत्र राणा
के स्थान पर खूजाराम पुत्र राणाराम नाम शुद्ध फरमाने की कृपा
प्राप्ति है।
LLR संख्या
रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार खूजाराम पुत्र राणा

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित है ।

तहसीलदार समदडी

CCMs - 2025/584

आदेश

क्रमांक / 2025/1689

दिनांक 16-10-2025

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम खोजिकोली की जमाबन्दी संवत् 2027-80 के खाता
संख्या 186 में खूजाराम पुत्र राणा के बजाय सम्मान सूचक इन्द्राज

खूजाराम पुत्र राणा राम
की जाती हैं तदनुसार जमाबन्दी में अपाल दरामद की कार्यवाही की जावे ।



उपखण्ड अधिकारी सिवाणा
उपखण्ड अधिकारी
सिवाणा (बालोतरा)